जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2018

सा.का.नि. 85.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे, प्रशासनिक और लेखा सेवाए , उच्च श्रेणी लिपिक, समूह 'ग़' पद भर्ती नियम 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, प्रशासनिक और लेखा सेवाएं, उच्च श्रेणी लिपिक समूह 'ग़' पद भर्ती नियम 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयुसीमा-, अर्हताएं आदि:** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/ पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उच्च श्रेणी लिपिक	41* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह " ग" अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-04 (25500-81100 रूपये)	अचयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(6)	(7)	(8)
18 और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यार्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :** आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गयी है।) **टिप्पण 2 :** रोज़गार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री।	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स 19900- 63200) रू(. के स्तर-2 में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक, जिन्होंने, उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हों। **टिप्पण -** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब की उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अरहक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम ना हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे 1. अपर निदेशक/वैज्ञानिक 'ई', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक 'डी', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य 3. केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालय / विभाग से समूह 'क' अधिकारी —सदस्य **समूह 'ग' विभागीय पुष्टी समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे** 1. अपर निदेशक/वैज्ञानिक 'ई', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक 'डी', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालय / विभाग से समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/30/2017-स्था.II]

अमित कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 9th March, 2018

G.S.R. 85.–In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Administrative and Accounts Services, Upper Division Clerk Group 'C' Post Recruitment Rules 2015 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Water and Power Research Station, Pune, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Water and Power Research Station, Pune, Administrative and Accounts Services, Upper Division Clerk, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.—** The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and oth er concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or Non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Upper Division Clerk	41* (2018) * subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Level- 04 in pay matrix (Rs.25500-81100).	Non-selection post.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Schedules Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep) **Note 2 :** In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Bachelor Degree from a recognized University.

Whether age and qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or promotion or deputation / absorption, and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion:** Lower Division Clerk in level-02 in pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of

			such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group `C' Departmental Promotion Committee, consisting of:- 1. Additional Director/ Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune -Chairman 2. Scientist 'D', Central Water and Power Research Station, Pune –Member 3. Group 'A' officer from other Central Government, Ministry/Department – Member **Group `C' Departmental Confirmation Committee, consisting of:-** 1. Additional Director/ Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune -Chairman 2. Scientist 'D', Central Water and Power Research Station, Pune –Member 3. Group 'A' officer from other Central Government, Ministry/Department – Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/30/2017-E.II]

AMIT KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली , 13 मार्च, 2018

सा.का.नि. 86.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, उद्यान उप ओवरसियर, समूह ग, पद भर्ती नियम 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया हो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में उद्यान उप ओवरसियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, उद्यान उप ओवरसियर, समूह 'ग', पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और मैट्रिक्स में स्तर:-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त/ पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।